हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

31.3.22

पत्रावली पेश हुई। अपीलांट अधिवक्ता उप.। रस्पो. संख्या 02, 03 के नाम नोटिस समन जिनवाये एक माह से अधिक समय हो चुका है तामील पर्याप्त मानी जाती है बावजूद बुलाने अनुपस्थित अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है अतः अपील स्वीकार करवाई जावे।

अधिवक्ता अपीलांटगण की पत्रावली पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है उभयपक्ष के हितों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। दावे के निस्तारण में रहते भूमि का बेचान / हस्तांतरण किया जाता है तो व्यर्थ ही मुकदमेबाजी बढ़ेगी। विवेचन एवं तथ्यों के आलोक

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

में अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है रा. का. अधि. 1955 की धारा 225 में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि हस्तगत आवेदन का निस्तारण बाद समुचित सुनवाई अधिकतम दो माह में निस्तारण करें। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर